



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-63

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 76604 दिनांक 04/10/2021 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	RAJESH TAK G C TAK एवं ROJI TAK RAJESH TAK	श्री प्रवीण कुमार केडिया व श्री नीवन कुमार केडिया पुत्रान् श्री जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती मोहिनी देवी	190	247.11 SQ. YARD	Cooperative	MODI NAGAR Sector/Block-	Name Transfer	जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, जयपुर शहर, जयपुर के परिवाद संख्या 337/07 प्रवीण कुमार केडिया व अन्य बनाम आईसीआईसीआई बैंक की छायाप्रति अपलोड की गई है जिसके अनुसार भूखण्ड के मूल दस्तावेज ऋण लिये जाने के लिए बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में बैंक के मुम्बई के स्टोरेज शाखा में जमा थे जो वर्ष 2005 में मुम्बई में अत्यधिक वर्षा व बाढ़ के कारण नष्ट हो जाने के तथ्य अंकित किये गये हैं।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. RAJESH TAK G C TAK एवं ROJI TAK RAJESH TAK को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |